उत्तराखण्ड भाासन

वित्त अनुभाग—8 संख्या / 2016 / XXVII(8) / 26(120)2016 देहरादून:: दिनांक **२**८ दिसम्बर,2016

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है,

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपिठत उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची I में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

संशोधन

1. अनुसूची—I के क्रमांक 84 पर विद्यमान प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जायेगी, अर्थात—

क्रम संख्या	माल का विवरण	कर की दर
85	इमारती लकड़ी से विभिन्न उत्पादों के निर्माणोपरान्त प्राप्त	करमुक्त
Aug (1/20)	अनुपयोगी एवं निष्प्रयोज्य लकड़ी।	

(अमित सिंह नेगी) सचिव।

संख्या- (०५) (1) / 2016 / 26(120) / XXVII (8) / 2016,तद्दिनांक । प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से सर्वसम्बन्धित को अवगत कराने का कष्ट करें।

- 2. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रूड़की, जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियां वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3. भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 4. निदेशक, एन०आई०सी०,उत्तराखण्ड सचिवालय।

गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हीरा सिंहे बसेड़ा) अनु सचिव।

0210 23 12 16

Letter section/

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. |041/2016/XXVII(8)/26(120)2016,dated 22 December, 2016 for general information.

Government of Uttarakhand

Finance Section-8
Nol4/2016/ XXVII(8)/26(120)2016

Dehradun:: Dated 22December,2016

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in

public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General clauses Act, 1904 (U.P. Act No.1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow, with effect from the date of publication of this notification in Gazette, the following amendment in Schedule I of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005-

Amendment

1. After the existing entry at serial no 84 of Schedule I, the following entry shall be added, namely-

Sr No.	Description of goods	Rate of tax
85	Waste and discarded wood obtained after manufacturing of different products from timber.	Exempt

(Amit Singh Negi)